**धारा 125, द. प्र. सं. के अधीन आवेदनपत्र**

न्यायालय-मुन्सिफ मजिस्ट्रेट ............... ............... नयी दिल्ली

वाद सं. ............................... सन ............................

इनरी :

श्रीमती कामिनी चढ्ढा ............... ............... ............... ............... ............... याची

बनाम

श्री दीपक चढ्ढा...... ............... ............... ............... ............... ................ प्रत्यर्थी

अन्तर्गत धारा, 125 द. प्र. सं.

थाना –

सुनवाई की तारीख .

**अति सादर पूर्वक प्रदर्शित करता है**

1. यह कि याची कामिनी चढ्ढा हाल में वर्ष 1985 में अनुष्ठापित किये गये प्रत्यर्थी की विधितः विवाहिता पत्नी है और कथित विवाह के परिणामस्वरूप पैदा हुई 8 वर्षों से उसके साथ इस माननीय न्यायालय की अधिकारिता के भीतर वर्तमान तौर पर निवास कर रहा है।
2. यह कि प्रत्यर्थी स्वयमेव का पोषण करने के लिए किसी साधन एवम् आलम्ब के बिना याची तथा उसके पति को छोड़कर अपनी शासकीय महिला साथी के साथ पृथक तौर पर हाल में पृथक तौर पर रहना प्रारम्भ कर दिया।
3. यह कि प्रत्यर्थी कथित शालिनी चढ्ढा महिला के पूर्व याची के विरुद्ध अशिष्ट चरित्र को सम्मिलित कर विभिन्न उपाय एवम तरीके अपनाया है और पुत्र एवम् पत्नी से याची का कोई अनुराग नहीं था।
4. यह कि याची विभिन्न कुटुम्ब को सम्पादित किये श्रमिक कार्य द्वारा स्वयमेव एवम उसके पुत्र का प्रबन्ध कर रहा है और वर्तमान तौर पर एक दुःखद दशा में है।
5. यह कि एक सरकारी सेवक होने वाला प्रत्यर्थी 8,000/- रुपये प्रतिमाह की रसीद में है और उस स्त्री साथी को छोड़कर कोई अन्य बाध्यता नहीं रखता था जिसको प्रत्यर्थी अपनी आय को प्रदर्शित करता है।
6. यह कि प्रत्यर्थी उसकी सम्पत्ति के बाहर एक किराये (एक सरकारी आवासन पर रुक करके दूसरो को किराये पर दिये गये उसके स्वयं के भवन से भवन किराया) के रूप में 3,000/ - प्रतिमाह की रसीदों में 5.6 लाख रुपये के मूल्य के अपने स्वयम के भवन का स्वामित्व अर्जित करता है।

प्रार्थना

यह अति विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की जाती है कि परिस्थितियो में प्रत्यर्थी को याची का 2,000 रुपये का एक मासिक भत्ता प्रस्तुत करने का आदेश किया जाए तथा पत्नी तथा संतानों के भरण-पोषण के लिए 1000 रुपये या किसी अन्य अनुतोष का आदेश पारित किया जाय तो यह न्यायालय आदरणीय न्यायालय इस आवेदनपत्र की तारीख से उपयुक्त समझे।

आवेदक/याची जरिये अधिवक्ता

तारीख :

स्थान :